''ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी शिक्षण प्रसार''

-शिक्षणमहर्षि डॉ बापूजी साळुंखे

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित, विवेकानंद कॉलेज (स्वायत्त), कोल्हापुर

हिंदी विभाग वर्ष 2022-2023

हिंदी अनुवादका पाठ्यक्रम (PG Diploma in Hindi Translation)

पेपर क्र 1- अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि

उद्देश्य:

- 1. अनुवाद के महत्त्व से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
- 2. अनुवाद कौशल्य को विद्यार्थियों में विकसित करना।
- 3. अनुवाद के माध्यम से भाषा कौशल्य का विकास करना।
- 4. अनुवाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास
- 5. राजभाषा के महत्त्व एवं वर्तमान स्थिति से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
- 6. अंतरअनुशासनात्मक अध्ययन के प्रति रुझान पैदा करना।

इकाई 1: अनुवाद सैद्धांतिक विवेचन

'अनुवाद अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा

इकाई 2: अनुवाद की प्रक्रिया और प्रकार

- क) अनुवाद की प्रक्रिया
 - अ) स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का सामान्य परिचय
 - आ) अनुवाद की प्रक्रिया के विविध सोपान
 - इ) अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएँ
- ख) अनुवाद के प्रकार- शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, आशु अनुवाद, आदर्शानुवाद, साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, मशीनी अनुवाद।

इकाई 3: राजभाषा हिन्दी संवैधानिक स्थिति व अनुवाद

- 1. राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति
 - राजभाषा से जुड़े अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा नीति
 - राष्ट्रपति के आदेश तथा हिन्दी के विविध स्तरीय प्रयोग 1952 तथा 1955 -संसदीय राजभाषा सिमिति 1957, राजभाषा आयोग 1955, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967
 - राजभाषा हिन्दी की वर्तमान स्थिति

2. अनुवाद: आवश्यकता एवं महत्त्व

इकाई 4: अनुवाद समस्याएँ एवं समाधान

- साहित्यिक अनुवाद से जुड़ी समस्याएँ एवं उनका समाधान
- साहित्येतर अनुवाद से जुड़ी समस्याएँ एवं उनका समाधान
- सांस्कृतिक संदर्भों के अनुवाद की समस्याएँ एवं समाधान
- लिप्यंतरण: समस्याएँ एवं समाधान
- लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अनुवाद की समस्याएँ एवं समाधान
- मानक वर्तनी लेखन की समस्याएँ एवं अनुवाद

• प्रश्नपत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन

अनुवाद : सैद्धान्तिक एवं प्रविधि के प्रश्नपत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन का विवरण वार्षिक परीक्षा कुल अंक 100

प्रश्न 1 पूरे पाठ्यक्रम पर 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक - 20

प्रश्न 2 विभाग एक पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 3 विभाग दो पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 4 • विभाग तीन पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 5- विभाग चार पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

• संदर्भ ग्रंथ -

- 1. गोपीनाथन जी अनुवाद : सिद्धान्त एवं प्रयोग 2001, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
- 2. रमेश चंद्र व्यावहारिक अनुवाद कला, 1998, नीलकंठ प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 3. भोलानाथ तिवारी- अनुवाद विज्ञान सिद्धान्त एवं प्रविधि 2009, किताबघर, नई दिल्ली।
- 4. सुरेश कुमार अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा 2005, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 5. कुसुम अग्रवाल अनुवाद शिल्प समकालीन संदर्भ -2008, साहित्य सहकार, दिल्ली।
- 6. विनोद गोदरे-प्रयोजनमूलक हिन्दी पहला संस्करण-2001, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
- 7. डॉ. तिवारी भोलानाथ, अनुवाद विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1972
- 8. डॉ. अय्यर विष्वनाथ, अनुवाद कला, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982
- 9. डॉ. राजूरकर म.ह दॉ. बोरा राजमल (संपा.) अनुवाद क्या है ? वाणी प्रकापन, नई दिल्ली, 1993
- 10. डॉ. भाटिया कैलाष अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग, तक्षपिला प्रकापन, 1985
- 11. गुप्त गार्गी, अनुवाद बोध, भारतीय अनुवाद परिषद, 1984
- 12. पालीवाल, रीतारानी, अनुवाद प्रक्रिया, साहित्य निधि प्रकाशन, 1982
- 13. पालीवाल, रीतारानी, अनुवाद की सामाजिक भूमिका, सचिन प्रकाशन, 1991 1964

प्रश्नपत्र 2 अनुवाद: अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक अनुवाद कार्य

उद्देश्य

- 1. अनुवाद कौशल्य को विद्यार्थियों में विकसित करना।
- 2. अनुवाद के माध्यम से भाषा कौशल्य का विकास करना।
- 3. अनुवाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास
- 4. अनुवाद से जुड़े रोजगार के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना।
- 5. राजभाषा के महत्त्व व वर्तमान स्थिति से विद्यार्थियों को अवगत कराना। कार्यालयीन हिन्दी व अनुवाद के विकसित रूप से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
- 6. मशीनी अनुवाद से जुड़ी संभावनाओं व सीमाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना।

इकाई 1: कार्यालयीन हिन्दी अनुवाद

पारिभाषिक शब्दावली एवं वाक्यांश का अनुवाद एवं कार्यालयीन सूचना परिपत्र, पत्रलेखन, टिप्पण आदि का व्यावहारिक अनुवाद।

इकाई 2: व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुवाद

रेलवे, बीमा, बैंक, डाक, फिल्म पटकथा एवं संवाद संबंधी अनुवाद, विविध प्रसार माध्यमों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली / वाक्यांशों का परिचय एवं व्यावहारिक अनुवाद

इकाई 3 वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद

वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों / वाक्यांशों का परिचय एवं व्यावहारिक अनुवाद, मानक वर्तनी एवं प्रफशोधन का परिचय।

इकाई 4: मशीनी अनुवाद

मशीनी अनुवाद - मानवसाधित मशीनी अनुवाद, मशीन साधित मानव अनुवाद, पूर्ण मशीनी अनुवाद और आंशिक मशीनी अनुवाद, मशीनी अनुवाद की सीमाएँ और संभावनाएँ।

• प्रश्नपत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन

अनुवाद: अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक अनुवाद कार्य के प्रश्लपत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन का विवरण

वार्षिक परीक्षा फुल अंक 100

प्रश्न 1. पूरे पाठ्यक्रम पर 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक - 20

प्रश्न 2. विभाग एक पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 3. विभाग दो पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 4. विभाग तीन पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

प्रश्न 5. विभाग चार पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ अंक - 20

• संदर्भ ग्रंथ

- 1. विनोद गोदरे- प्रयोजनमूलक हिंदी, पहला संस्करण 2001, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
- 2. कृष्ण कुमार गोस्वामी-प्रयोजन मूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी, कलिंगा प्रकाशन, दिल्ली।

- 3. कैलाशचंद्र भाटिया कामकाजी हिन्दी वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
- 4. कैलाशचंद्र भाटिया राजभाषा हिन्दी वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
- 5. गोपीनाथ श्रीवास्तव सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग लोकभारती, इलाहाबाद।

प्रश्नपत्र 3 अनुवाद परियोजना कार्य

कुल अंक 100%

- 1. परियोजना कार्य टंकित 30 पृष्ठ अंक: 75
- 1.1 साहित्यिक अनुवाद
- 1.2 साहित्येतर अनुवाद

(कार्यालयीन, वाणिज्य, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सामग्री का अनुवाद) 2. संगोष्ठी : हिंदी

अनुवाद पदविका पाठ्यक्रम पर आधारित एक सेमिनार अंक 25

उपर्युक्त क्षेत्रों से संबद्ध प्रायोगिक अनुवाद (अंग्रेजीसे हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में)। परियोजना कम से कम 20 पृष्ठों की हो जिसे पूरे पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किया जाए।

VIVEKANAND COLLEGE, KOLHAPUR (AUTONOMOUS)

- 1 Title: Diploma in Hindi Translation
- 2. Deration of the Course: One academic year
- 3. Admission Condition
 - a. Graduate from any statutory Indian University
- 4. Intake: 30
- 5. Teachers Qualification:

Any recognized PG teacher in Hindi is eligible

- 6 Standard of Passing
- i) Minimum passing for each paper will be 30% marks & aggregate passing for the whole course be 40% marks
- ii) Candidate securing 50% marks in each paper shall be exempted for reappearing for the examination
- iii) The division shall be awarded as follows
- a) 50% marks and above but upto 59% marks-Second Class
- b) 60% marks and above but %% marks-First Class
- c) 70% marks and above-First Class with Distinction
- 7. Total Papers

Course will consist of 3 papers of 100 murks cach

Paper No. Name of the paper

I) अनुवाद: सिद्धांत और प्रविधि

(Translation: Theory & Methodology)

II) अनुवाद: अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक

(Translation: Applied & Practical)

III) अनुवाद: प्रायोगिक कार्य

(Translation: Practical Werk)

(Details will available in the Syllabes)

8. Teaching Period.

Three periods for each paper in a week (of 60 min, duration)

9. Fees:

Rs. 5000/- per year

10. Examination Fees:

Examination fees will be Rs. 300

- 11. Attendance: As per University rules.
- 12. Remuneration:
 - परियोजना कार्य के लिए को पति परियोजना 250/- दिया जाए।
 - समन्वयक का पारिश्रमिक प्रतिवर्ष 5000/- हों।

VIVEKANAND COLLEGE, KOLHAPUR (AUTONOMOUS)

Diploma in Hindi Translation DISCIPLINARY RULES

For purpose of Section 95 (5) of the Maharashtra University Act, 1994 the rules of discipline and proper conduct for the students of the University Department, affiliated colleges, recognized institutions, autonomous colleges/institutions shall be as follows:

- 1. As part of discipline, students are required to attend function celebrating Days of National Importance
- 2. a) The students shall attend the classes, practical's and seminars etc. Wherever prescribed regularly so that the requirements of minimum attendance as prescribed under the Act, the Statutes, the ordinances and rules/regulations made in that

behalf are fulfilled. The students shall not remain absent for more duan 3 days without permission of the Head

of the concerned Department. 3. It shall be binding on the part of the students to see that no damage is done to the property of the

concerned institution in any manner. 4.) The students shall behave with their classmates, teachers authorities and

the non teaching employees of the concerned institutions in a responsible manner.

- ii) The students shall behave in a fair and friendly manner in all extra co-curricular activities.
- (B) The students shall participate in Educational tours, Youth Festivals and other collective activities wherever prescribed, in a constructive manner ensuring fulfillment of the objectives of the said activity under strict supervision and guidance of the teachers officers authorities of the concerned institutions.
- iv) It shall be obligatory on the part of the students to make a proper use of the Laboratory/Library/Study Room and other common facilities without causing

inconvenience or damage to the other users and the property.

- 5. The residents students shall be governed by the rules and regulations in respect of hostel accommodation/premises as prescribed by the concerned institutions.
- 6. The students involved in any attempts of common offs, vulgarism, gundaism, manhandling, malpractices or participation in criminal acts shall be liable for punishment.
- 7. The students shall be governed by the provisions of Anti-raging Legislation of the State Government, and of rules made in this regard from time to time by the concerned institutions
- 8. Any breach of the aforesaid rules or any misbehavious on the part of the student shall be liable to be punished severely in accordance with the provisions contained in Section 95 (3) (4) of the Maharashtra Universities Act, 1994 reproduced below:
- 95 (3) The Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period or be not admitted to a course or

courses of study in a college, institutions or department of the university for a specific period or department of the fine, not exceeding three hundred rupees or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the department, colleges or institution maintained by the university for a specified period not exceeding five years or that result of the student or students concerned in the examination in which he or they have appeared be cancelled. Provided dut, the Vice-Chancellor shall have reasonable opportunity to the student concerned of being heard, if expulsion is for a period exceeding one year.

95 (4) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor, the Principal of conducted Colleges, Heads of the University Institutions and the Heads of Department of the University shall have authority to exercise all such powers over the students in their respective charge as may be necessary for the maintenance of proper discipline.

Cancellation of admission and refund of money shall be as under:

All Deposit such as Caution Money, Library, Laboratory deposit etc. shall be refundable subject to such deduction as may be necessary on account of any damage to the property of the institution concerned such as breakages to laboratory equipment, loss of library books etc. for which a student may be responsible.

The application for refund of such deposits shall be within six months either from the date he/she leaves the college or completes the course.